संख्या-21/2020/सा0-61/38-2-2020-स0823/2018

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2020**

विषय:- जनपद बहराइच के विकास भवन में पुन: विद्युतीकरण एवं फायर अलार्म तथा फायर फाइटिंग की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-40/2018/सा0-823/38-2-2018-सा0823/2018, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 द्वारा जनपद बहराइच के विकास भवन में पुन: विद्युतीकरण एवं फायर अलार्म तथा फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना कराये जाने हेतु क्रमश विद्युतीकरण कार्य हेतु रू0 123.12 लाख एवं फायर अलार्म तथा फायर फायटिंग सिस्टम की स्थापना हेतु रू0 152.28 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 275.40 लाख (रूपये दो करोड़ पचहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वर्ष 2018-19 में रू0 क्रमश: रू0 61.56 लाख एवं रू0 76.14 लाख कुल धनराशि रू0 137.70 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्रांक-908/बजट अनु0/सामु0वि0/2019-20, दिनांक 25 फरवरी, 2020 एवं मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच के पत्रांक-326/एसएओ/ विद्युतीकरण फायरफाइटिंग, दिनांक 18-01-2020 द्वारा परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुए परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद बहराइच के विकास भवन में पुन: विद्युतीकरण एवं फायर अलार्म तथा फायर फाइटिंग की स्थापना के अवशेष दोनों कार्य हेतु अवशेष धनराशि क्रमश: रू0 61.56 लाख (रूपये इकसठ लाख छप्पन हजार मात्र) एवं रू0 76.14 लाख (रूपये छियत्तर लाख चौदह हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 137.70 लाख (रूपये एक करोड सैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दि0 22 मार्च,2019 में प्रावधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपरोक्त शासनादेश दिनांक-13.11.2018 में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदयित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास, सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था द्वारा ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर दर्ज परियोजनाओं की सूचना प्रत्येक माह अद्यतन किया जाय।

(7) उक्त शासनादेश दिनांक 13 नवम्बर, 2018 एवं इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विवरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

(8) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(9) उक्त निर्माण कार्य स्वीकृत लागत से निर्धारित समयावधि में ही पूरे किये जायेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसी मद/कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(12) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) धनराशि एकमुश्त आहरित न करके अपितु आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय हेतु कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(15) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के व्यय हेतु संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था व निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों में क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन "लेखाशीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों /केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनु0-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

संख्या-21/2020/सा0-61(1)/38-2-2020-स0823/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बहराइच।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बहराइच।
6- कोषाधिकारी, बहराइच।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग/अधिशासी अभियंता, विद्युत यांत्रिक खण्ड लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।